

THE EASTERN RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LTD.
10, Strand Road, Kolkata-700 001.

The E.R.E.C. Bank Ltd. - की पिछली अधिसूचना संदर्भ संख्या ERECB/ELEC/DLGT/NOTIFIN/06/2024 DT.- 31/05/2024 के अनुसार, प्रतिनिधि चुनाव, 2024 से संबंधित नियम नीचे उल्लिखित हैं:

1. शेरहोल्डर को ईस्टर्न रेलवे / ईस्ट सेंट्रल रेलवेमें कार्यरत होना चाहिए।
2. इस चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 18/06/2024 से Election Officer के पास उपलब्ध होगी। न्यूनतम रु. 10/- (दस) रूपये की दर से जमा करना होगा।
3. यदि किसी शेरहोल्डर का नाम उस Constituency की मतदाता सूची में नहीं है जिसमें वह कार्यरत है तो वह सुधार/आपत्ति आदि के लिए निर्धारित तिथि पर Election Officer को आवेदन कर सकता है।
4. Election Officer उचित सूचना प्रमाण के आधार पर किसी विशेष Constituency की मतदाता सूची में नाम शामिल कर सकता है। Election Officer, Schedule-II में उक्त शेरहोल्डर की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची की एक प्रति तुरंत Election Cell / C.E.O. / बैंक Secretary को भेजे और सूची की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
5. यदि कोई शेरहोल्डर अपरिहार्य कारणों से किसी Constituency की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करने में विफल रहता है और मतदान के समय मतदान के लिए निर्धारित Schedule-I भरकर आवेदन के साथ Election Officer के समक्ष उपस्थित होता है, तो Election Officer यदि वह अपने Constituency का मतदाता होने की पात्रता के उचित दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है तो उसे मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है।
6. **Delegate Election के लिए उम्मीदवारों की योग्यता:-**
 - i. कोई शेरहोल्डर Delegate Election के लिए उम्मीदवार नहीं होगा यदि उसे नामांकन दाखिल करने की तिथि पर ऋण किस्तों के डिफॉल्ट के संबंध में बैंक से कोई नोटिस मिला है और उसने ऐसे नोटिस के अनुसार किसी भी बकाया ऋण किस्त का भुगतान नहीं किया है।
 - ii. यदि किसी शेरहोल्डर को उसकी देय किश्तें जमा करने के बाद भी डिफॉल्ट दिखाया जाता है, तो वह शेरहोल्डर उचित Pay Slip जमा करके Delegate Election के लिए उम्मीदवार के रूप में पात्र होगा।



7.1. नामांकन (Nomination) :

- a) एक शेरहोल्डर केवल उसी Constituency में प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकता है और मतदान कर सकता है जिसमें वह सेवारत है।
- b) एक शेरहोल्डर जिसका नाम किसी विशेष Constituency की मतदाता सूची में नहीं है, जहां वह वोट देने का हकदार है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकता है, ऊपर कहा Sl. No. 3 अनुसार उस विशेष Constituency की मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करने के बाद।
- c) जो शेरहोल्डर Delegate Election लड़ना चाहते हैं, उन्हें अधिसूचित तिथि और समय के भीतर Schedule-III भरकर Election Officer को जमा करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त Nomination Form पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी मुद्रित चिह्न या संगठन के नाम वाले Nomination Form को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- d) Nomination का प्रस्ताव उसी Constituency से एक शेरहोल्डर द्वारा किया जाना चाहिए, जहां से वह एक Delegate के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है। यदि प्रस्तावक का नाम किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है जहां वह मतदान करने का हकदार है। उन्होंने ऊपर कहा Sl. No. 3 के अनुसार उसका नाम उस विशेष Constituency की मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। प्रस्तावक और समर्थक एक ही निर्वाचन क्षेत्र से होने चाहिए।
- e) चुनाव के लिए Nomination Form, Schedule-III के अनुसार होगा, जिसे Election Officer या Election Officer द्वारा नामित किसी भी Officer से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- f) चुनाव कार्यक्रम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को Nomination Form जमा करने के लिए निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर Election Officer अथवा उनके द्वारा नामित किसी Officer के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। जो व्यक्ति नामांकन फॉर्म स्वीकार करता है, वह नामांकन फॉर्म पर क्रमांक लिखेगा और नामांकन फॉर्म की प्राप्ति की तारीख और समय प्रमाणित करेगा और तुरंत बैंक की मुहर लगाकर लिखित रूप में रसीद स्वीकार करेगा।
- g) Nomination Form प्राप्त करने की निर्धारित अवधि के अंत में Election Officer प्राप्त नामांकनों की सूची तैयार कर बैंक के नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे।
- h) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जमा किया गया Nomination Form निरस्त माना जायेगा।
- i) चूंकि B.O.D. में, M.S.C.S Act, 2002 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अनुसार S.C., S.T. (एक सीट) और महिलाओं (दो सीटें) के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, Delegate Election में S.C., S.T. और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा।



- j) चयन प्रक्रिया तीन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए की जाएगी - यानी Genarel / SC, ST / महिला, और इसलिए तीन प्रकार के नामांकन फॉर्म होंगे, एक सामान्य उम्मीदवारों के लिए, एक SC,ST उम्मीदवारों के लिए और एक महिला उम्मीदवारों के लिए।
- k) जो उम्मीदवार आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके नामांकन फॉर्म में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार आरक्षित सीटों यानी (SC, ST) या (महिला) के उम्मीदवार के रूप में प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है।
- l) Nomination Form में सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- m) कोई भी शेयरहोल्डर सामान्य सीट और आरक्षित सीट के लिए एक साथ नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है यानी आरक्षित सीट (SC,ST और महिला) या अनारक्षित / साधारण सीट के तहत नामांकन दाखिल किया जा सकता है।
- n) जिन उम्मीदवारों के लिए Nomination Form जमा किया गया है उनकी श्रेणी की पहचान करने के लिए Nomination Form तीन रंगों का होगा:
- साधारण उम्मीदवारों के लिए सफेद रंग.
 - SC & ST उम्मीदवारों के लिए पीला रंग.
 - महिला उम्मीदवारों के लिए गुलाबी रंग.

7.2. नामांकन पत्र की Scrutiny प्रक्रिया:-

Nomination Form Scrutiny हेतु तिथि निर्धारित-

- a) Election Officer निर्धारित समय पर Nomination Form की Scrutiny करेंगे और नामांकन फॉर्म की Scrutiny के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार, उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक Nomination Form की Scrutiny के दौरान उस स्थान पर उपस्थित रह सकता है।
- b) Election Officer Nomination Form की Scrutiny करेगा और किसी भी नामांकन के संबंध में किसी भी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का निपटान करेगा और किसी भी नामांकन को स्वीकार या रद्द कर सकता है। बशर्ते, किसी उम्मीदवार का नामांकन मतदाता सूची में दर्ज उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या समर्थक के नाम की गलत व्याख्या के कारण रद्द नहीं किया जाएगा, यदि यह उचित संदेह से परे स्थापित हो।
- c) Election Officer प्रत्येक Nomination Form को स्वीकार करने या रद्द करने के निर्णय को मंजूरी देगा और यदि Nomination Form रद्द कर दिया जाता है तो वह लिखित रूप में ऐसे रद्दीकरण का कारण दर्ज करेगा।
- d) Election Officer किसी भी कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि कार्यवाही दंगे या हंगामे या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से बाधित या बाधित न हो।



- e) Election Officer को किसी भी प्रकार के विवाद या उपद्रव या किसी अन्य कारण से प्रचालन के लिए कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा, बस जब उनके नियंत्रण के बाहर किसी दंगल या हादसे द्वारा कार्यक्रम विघटित या बाधित हो।
- f) यदि किसी उम्मीदवार को इन विनियमों के अनुसार और प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो Election Officer किसी भी उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार करेगा।
- g) Nomination Form की Scrutiny के तुरंत बाद Election Officer अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर वैध उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित करेंगे।

7.3. नामांकन वापसी (Nomination Withdrawl):

कोई भी उम्मीदवार अपनी पसंद का नामांकन वापस ले सकता है और अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी के सत्यापित हस्ताक्षर देकर अधिसूचित तिथि और समय के भीतर संबंधित चुनाव अधिकारी को जमा कर सकता है। अधिसूचना में उल्लिखित तिथि और समय के बाद निकासी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा दी गई उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना की वसूली नहीं की जाएगी।

8. उम्मीदवारों की अंतिम सूची (Final List Of Candidate):

उम्मीदवारी वापस लेने की अधिसूचना की अंतिम तिथि और समय समाप्त होने के बाद, Election Officer शेष नामांकित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगे। यह सूची उम्मीदवारों के नामों के वर्णमाला क्रम में तैयार की जाएगी। Election Officer उक्त अंतिम सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा और व्यापक प्रचार के अनुरोध के साथ सूची की एक प्रति अपने Constituency से संबंधित सभी कार्यालयों को भेजेगा।

9. निर्विरोध निर्वाचन (Uncontested Election) :

यदि किसी Constituency में उम्मीदवारों की कुल संख्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नहीं है, तो कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में Nomination Form वापस लेने की निर्धारित तिथि एवं समय के बाद Election Officer, Schedule-V भरकर उन सभी प्रतिनिधियों को विजेता घोषित करेंगे।

10. मतदान प्रक्रिया:

- a) Schedule-IV के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा।
- b) मतदानपत्र पर उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी भाषा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होने चाहिए, यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक भाषाओं में।



- c) Schedule-IV के अनुसार मतदानपत्र के अंग्रेजी संस्करण का अनुवाद उसी "मतदानपत्र" में "हिंदी" और/या "बांग्ला" में किया जा सकता है यदि चुनाव अधिकारी विचार करता है और स्थानीय परिस्थितियों की मांग है।
- d) प्रत्येक शेयरहोल्डर प्रति Constituency के प्रति Delegate सीट के लिए केवल एक वोट डाल सकता है।
- e) प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं है।
- f) सीटों (सामान्य/SC,ST एवं महिला) के आरक्षण के कारण मतपेटियों की संख्या इस प्रकार होगी:-
- i. वे Constituency जहां उम्मीदवार (ए) सामान्य, (बी) SC,ST और (सी) महिला हैं, वहां तीन मतपेटियां होंगी और उन मतपेटियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा।
 - ii. वे Constituency जहां उम्मीदवार (ए) सामान्य और (बी) SC,SC से संबंधित हैं, वहां दो मतपेटियां होंगी और उन मतपेटियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा, एक सामान्य उम्मीदवारों के लिए और दूसरा SC,ST उम्मीदवारों के लिए।
 - iii. वे Constituency जहां उम्मीदवार (ए) सामान्य और (बी) महिला हैं, वहां दो मतपेटियां होंगी और उन मतपेटियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा, एक सामान्य उम्मीदवारों के लिए और दूसरी महिला उम्मीदवारों के लिए।
 - iv. पुनः, उन Constituency में जहां उम्मीदवार केवल (ए) सामान्य श्रेणी के हैं, वहां एक मतदानपेटी होगी और वह मतदानपेटी "सामान्य" होगी।
- g) Election Officer/Add. Election Officer उक्त Constituency के उम्मीदवारों की संरचना के अनुसार प्रत्येक मतदाता को एक/दो/तीन मतदानपत्र अवश्य जारी करेगा। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देंगे और मतपत्रों को संबंधित बक्सों में डालेंगे। सभी मतदाता अपनी पसंद के अनुसार सभी श्रेणियों (सामान्य/SC,ST और महिला) के उम्मीदवारों को वोट देंगे। यह उस Constituency पर लागू होता है जहां तीन श्रेणियों के उम्मीदवारों ने आरक्षित सीटों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालाँकि, यदि मतदान समाप्ति के बाद मतदानपत्र संबंधित पेटी में नहीं डाला गया है, तो अन्य मतदानपेटी खोलने के समय उक्त मतदानपत्र पाए जाने पर संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में गिना जाएगा। यदि अन्य सभी चीजें ठीक हैं तो संबंधित श्रेणी के अलावा अन्य बक्सों में मतपत्रों को अवैध नहीं माना जाएगा।
- h) अपनी पसंद के उम्मीदवार/उम्मीदवारों को वोट देने के लिए, शेयरहोल्डर को गुप्त रूप से मतदानपत्र में उम्मीदवार के नाम के आगे आवंटित स्थान पर "Cross Mark (X)" / "Tick Mark (✓)" लगाना होगा और मोड़कर सील करें और निर्धारित बंद मतदानपेटी में डाल दें, जिसे Election Officer के सामने रखा जाएगा। मतदानपत्र के नाम के दाईं ओर आवंटित स्थान पर सही ढंग से "Cross Mark (X)" / "Tick Mark (✓)" को वैध वोट के रूप में स्वीकार



किया जाएगा। “Cross Mark (X)” / “Tick Mark (✓)” के लिए रंगीन पेंसिल / लाल पेन / (X) चिह्नित रबर स्टैम्प प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त शर्तों/नियमों के बाहर कोई भी मतदानपत्र अवैध माना जायेगा।

- i) उम्मीदवार स्वयं या उसका अधिकृत एजेंट मतदान केंद्र पर और मतगणना के दौरान उपस्थित रह सकता है। उम्मीदवारों या उनके एजेंटों/एजेंटों को मतदान केंद्र में उस गुप्त कक्ष के बहुत करीब नहीं बैठाया जाना चाहिए जहां सदस्यों को मतदानपत्र पर “Cross Mark (X)” / “Tick Mark (✓)” लगाना होता है। Election Officer द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। पोलिंग एजेंट उसी केंद्र के मतदाता होने चाहिए।
 - j) मतदान समाप्त होने के बाद, Election Officer वोटों की गिनती करेंगे और Schedule-V के अनुसार चुनाव गणना के परिणाम घोषित करेंगे। यदि लिलुआ और जमालपुर जैसी कार्यशालाओं में मतदानपेटियों की सुरक्षा की गारंटी हो तो मतदान के बाद की तारीखों पर मतगणना आयोजित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में मतदानपत्र से भरी मतदानपेटी को बंद कर दें और उस पर उम्मीदवार या उसके एजेंट और Election Officer का हस्ताक्षर करा कर रख लें।
 - k) Schedule-V के अनुसार सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को Election Officer द्वारा विजेता घोषित किया जायेगा। यदि किसी सीट पर चुनाव लड़ने वाले दो उम्मीदवारों को अधिकतम समान संख्या में वोट मिलते हैं, तो परिणाम उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में निम्नलिखित तरीके से लॉटरी द्वारा निर्धारित किया जाएगा और Election Officer उपस्थित व्यक्तियों के नाम दर्ज करेगा।
 - l) समान संख्या में वोट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम समान आकार के कागज की अलग-अलग पर्चियों पर लिखे जाएंगे और फिर मुड़ी हुई पर्चियों को किसी खाली कंटेनर में रख दिया जाएगा। फिर Election Officer उस मटके से एक पर्ची निकालेगा और जिसका नाम निकलेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा।
 - m) चुनाव का सटीक स्थान और समय Election Officer द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस द्वारा सूचित किया जाएगा और नोटिस की प्रतियां संबंधित Constituency से संबंधित कार्यालयों या विभागों के उम्मीदवारों और शेयरहोल्डर को भेजी जाएंगी।
 - n) मतदान का समय अधिसूचना के अनुसार माना जाएगा।
11. उपर्युक्त नियमों में किसी भी मामले या विवाद के मामले में, M.S.C.S Acts & Rules, 2002 dt. 03/08/2023 & 04/08/2023, तदनुसार समाधान किया जाएगा।

For The Eastern Rly. Employees' Co-op. Bank Ltd.


Chief Executive Officer

Chief Executive Officer
The E.Rly. Emp. Co.-op. Bank Ltd.
Kolkata-700001

